

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में क्यारी सुरकण्डा हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम :- क्यारी
तहसील- धनौली, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला टिहरी, उत्तराखण्ड में क्यारी सुरकण्डा हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन का निर्माण हेतु (0.50 है0) वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा दिनांक 12/9/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम क्यारी के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि 0.500 है0 है। प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाण किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव

जनपद टिहरी गढ़वाल
जनपद विकास अधिकारी
धनौली (टिहरी गढ़वाल)



नोट :-

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।